**VIDHAN SABHA MATTER**

**GOVERNMENT OF NCT OF DELHI**
**PUBLIC WORKS DEPARTMENT**
**5TH LEVEL "B" WING**
**DELHI SECRETARIAT: NEW DELHI-110002**

**F.No.11(80)/PWD-II/V.S.Q/Un.St.Q.No.216/2019/**11123-24 **Date-** 23/08/2019

To,

The Dy. Secretary,
Question Branch,
Delhi Legislative Assembly,
Question Branch, Old Secretariat,
New Delhi-110054.

**Sub: -Reply of Legislative Assembly (Un-Starred) Question No. 216 raised by Sh. Jagdish Pradhan Hon'ble MLA for dated 26.08.2019.**

Sir,

Kindly refer to your letter No.F.11(B-1)VI/2015-20/VSS/Question Branch/2323 dated-16.08.2019 on the subject cited above. In this regard, please find enclosed herewith 100 copies of reply of Vidhan Sabha Question as mentioned above for necessary action at your end. Further, the copy of the same has also been sent through e-mail.

Yours faithfully,

Encl: As above

23/08/19

**Dy. Secretary (PWD/VS)**

**F.No.11(80)/PWD-II/V.S.Q/Un.St.Q.No.216/2019/**11123-24 **Date-** 23/08/2019

Copy for information to:-
OSD to Hon'ble Minister (PWD)

23/08/19

**Dy. Secretary (PWD/VS)**

*विभाग का नाम :– लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार*
*विभाग का पता :– 5वॉ तल, बी–विंग, दिल्ली सचिवालय,*
*इन्द्रप्रस्थ संपदा, नई दिल्ली–110002.*

**अतारांकित प्रश्न संख्याः 216**
**दिनांकः 26.08.2019**
**प्रश्नकर्ता का नामः श्री जगदीश प्रधान**
**क्या लोक निर्माण विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेगें किः**

| क0 स0. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क | क्या यह सत्य है कि किराड़ी, घेवरा तथा नरेला मंडी में रेलवे क्रासिंगों पर प्रस्तावित पुल बनाए जाने का टाल दिया गया है; | यह सत्य नहीं है। ये कार्य उत्तर नगर निगम, दिल्ली (North MCD)द्वारा किया जाना प्रस्तावित था।<br>इन रेलवे ओवरब्रिज/रेलवे अंडरब्रिज के निर्माण के लिए उत्तर नगर निगम दिल्ली द्वारा शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के फंड के तहत रू0 282.70 करोड़ के अनुमान डी.डी.ए. को प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय अनुमति जारी कराने हेतु जमा किया था। इन अनुमानों में रू0 111.82 करोड रूपये जमीन की कीमत भी सम्मलित है।<br>डा0 उदित राज, सासंद, उत्तर पश्चिम दिल्ली ने अपने पत्र सं0 2991 दिनांक 29.11.2018 को मुख्य मत्री, दिल्ली सरकार को अपने अर्द्धसरकारी पत्र द्वारा इन रू0 111.82 करोड रूपये जमीन की कीमत के भुगतान के लिये लिखा है।<br>इस पत्र पर कार्यवाही करते हुए मंत्री, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार के कार्यालय पत्र सं0 2242 दिनांक 12.02.2019 द्वारा लोक निर्माण विभागको आवश्यक कार्यवाही हेतू कहा गया। क्योकि यह तीनो रेलवे ओवरब्रिज/रेलवे अंडरब्रिज के निर्माण के कार्य लोक निर्माण विभाग के कार्य क्षेत्र में आते है। अतः इन परियोजनाओं को लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना चाहिये, जिसके लिये इन परियोजनाओ पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर उनकी प्रारम्भिक संरचना (Pre-feasibility) अध्ययन किया गया है और अब रेलवे विभाग से विचार विमर्श (Liasioning)किया जा रहा है। |
| ख | यदि हाँ, दिल्ली सरकार ने किन कारणों से इनके निर्माण के लिए फंड रोके हुए हैं; | इन रेलवे ओवर ब्रिज/रेलवे अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में इन सभी योजनाओं के लिए रेलवे विभाग से विचार विमर्श (Liasioning) किया जा रहा है। |
| ग | क्या यह सत्य है कि सुल्तानपुरी में भी पुल का कार्य पूरा हो जाने के बावजूद भी रोक दिया गया है, | यह योजना लोक निर्माण से सम्बन्धित नहीं है। |
| घ | इसके क्या कारण हैं; और सरकार किस प्रकार सुनिश्चित कर रही है कि उपरोक्त चार महत्वूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही अड़चनों को यथाशीघ्र दूर किया जाए? | यह योजना लोक निर्माण से सम्बन्धित नहीं है।<br>प्रश्न (क) में दिए गए तीनो ब्रिजों का निर्माण रेलवे लाईन के उपर या नीचे से किया जाना है, इसीलिए इस सम्बन्ध में मामला रेलवे के साथ उठाया जा रहा है। |

यह उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

22.8.19
(ए.एल मदान)
उप सचिव, (लो0नि0वि0)
उप सचिव/Deputy Secretary
लोक निर्माण विभाग/Public Works Department
दिल्ली सचिवालय, दिल्ली/Delhi Secretariat, Delhi